राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 19 / 2020

1. घोटली देवी पत्नी सांवलराम
2. कृष्ण कुमार पुत्र सांवलराम
   जाति गुर्जर निवासी ढाणी टोडावाली ग्राम मानोता खुर्द तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.)

........ प्रार्थीगण

**ब–ना–म**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

**प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती**

**निर्णय** **दिनांक 09–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम मानोता खुर्द स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 9 व 63 में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम छोटीदेवी पत्नी सावल के स्थान पर घोटली देवी पत्नी सांवलराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम कष्ण पुत्र सावल के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र सांवलराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता सं. 9 व 63 ग्राम मानोता खुर्द पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम मानोता खुर्द स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 9 व 63 में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम छोटीदेवी पत्नी सावल के स्थान पर घोटली देवी पत्नी सांवलराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम कष्ण पुत्र सावल के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र सांवलराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

**आदेश**

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मानोता खुर्द स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 9 व 63 में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम छोटीदेवी पत्नी सावल के स्थान पर घोटली देवी पत्नी सांवलराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम कष्ण पुत्र सावल के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र सांवलराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested

( राजपाल यादव )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी